

फर्द अहकाम

कार्यालय:- न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर
अनवान:- संजय बनाम मनसुख
किस्म मुकदमा:- विविध पत्रावली संख्या:- 29/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएँ जारी की गई।
---------	-----------------	--

.....11/5/26

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी मावली श्री मनसुख डामोर व अन्य के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 23/2024 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। परन्तु वर्तमान में श्री डामोर का स्थानांतरण हो जाने से उक्त प्रार्थना स्वतः ही प्रभावहीन (Infructuous) हो जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से अब प्रभावहीन हो गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली स्थानांतरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ़तर हो।



(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर